# The Gazette of India

असाधारण

# **EXTRAORDINARY**

भाग III — खण्ड 4 PART III — Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] No. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 2002/फाल्गुन 20, 1923

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 2002/PHALGUNA 20, 1923

### प्रसार भारती

( भारतीय प्रसारण निगम )

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2002

सं. एन-10/9/2001-पी.पी. सी. — प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की थारा 9 की उपधारा (2) से पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निगम, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (कनिण्ठ समृह ''घ'' पद) सेवा विनियम, 2002 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. आरंभिक गठन :— सभी व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व समूह ''घ'' पद नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, इन नियमों के अधीन समूह घ कर्मचारीवृंद के रूप में नियुक्त किए समझे जाएंगे। इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उनके द्वारा की गई सेवा को अगली श्रेणी में प्रोन्नित आदि के लिए अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए सिम्मिलित किया जाएगा।
- 3. पद संख्या और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 4 से 11 में बिनिर्दिष्ट हैं।
  - 5. निरर्हता:-वह व्यक्ति-
  - (क) अजिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है य या
  - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

809 GI/2002

. .

उपत पद पर निथुवित का पात नहीं होगा :

परन्तु शक्ति विगम को शह समाधान हो जाता है कि ऐसा सिलाह ऐसे व्यक्ति और सिलाह के अन्य मध्यकार को लागू स्वीम विधि के अर्थान अनुज्ञेश है और ऐसा करने के लिए अन्य जाधार हैं हो वह किसी व्यक्ति को इस निमम के प्रवर्तन से छूट है सकेगी।

- 6. शिथिए करने की शिवत : जहां निगम की यह राग है कि ऐसा करना आवश्यक मा समीकीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखकड़ करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश हारा किन्हीं व्यक्तिगों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा नहीं से संबंधित इन विनियमों के किसी भी उपबंध को शिथिए कर सकेगी।
- ते. विश्वेषय : चित्रिं इव विविधमों के विश्वेषय से संबंधित कोई प्रश्य उत्तता है, तो विविध्यय के लिए केन्द्र सरकार की निर्दिष्ट किया जाएगा।

			अनुव	मी		
पद्द का नाम	पहीं की संख्या	मेतनमान	भीम्मता के आधार पर चयन या चयन सह ज्येष्टता के आधार पर चयन	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए निहित आयू और कैक्षिक अहैताएं ग्रीन्नित की दशा में भी लागू होंगी या नहीं
1	2	à	A	6	6	7
ा. पुस्तकालथ परिचर	*36 (2001) *कार्यभार के आभार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2650 65 3300 70 4000 T.	चयत सह ज्येष्टता	लापू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होगा

परिवीक्षा अवधि गरि कोई हो	भर्ती की पद्धति	श्रेणी जिसमें प्रोत्नति, प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है तौ उसकी संरचना
8	9	10	11
श्रुत्थ	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	2610-60-3150-65-3540 रु. वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले दपतरी/दपतरी-सह- गैस्टेटनर ऑपरेटएस्टुडियो परिचर। ऐसा न होने की स्थिति में रु. 2550-55-2660-60-3200 वेतनमान में 6 वर्ष की नियमित सेवा बाले चपरासी।	पदीन्ति/पृष्टिकरण के लिए :  *1. आकाशवाणी/दृरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में सहायक केन्द्र अभियंता/सहायक केन्द्र निदेशक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी—अध्यक्ष  *2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी —सदस्य  *3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखकार —सदस्य  * केन्द्र के ज्येन्डतम प्रमुख अधिकारी द्वारा नामित

—अध्यक्ष

भाग ।।। स्वयन						
					11	
					and the state of t	वहायक जीभगंगा/कार्यक्रस
					(३) बस कानालय न	delia, allatante
					निष्पादक अथवा र	प्रमुकान हो। का अधिकारी सहस्य
					(३) प्रशासन अधिकारी	/प्रभान लिपिक/लेखाकार— स्टब्स
					आकाशवाणी/तृरत्य	न प्रहानित्रमालय के लिए
						मन) (मृज्यालय) – अध्यक्ष
					*2. उप निर्देशक (प्रश	॥सन) यद्ध्य
					*३. अनुभाग अधिकार	ो (कर्मचारी 5 अनुभाग) सदस्य
					<ul> <li>डप महानिर्देशक (</li> <li>वासित किए जाएंगे</li> </ul>	प्रशासन), आकाशवाणी द्वारा ।।
					6	7
, 1	2 	3	4	5 लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लापु नहीं होता
. पपत्तरी	*1 (2001)	2610-60	चयन सह	लागू नहां हाता	6114 161 6101	611 X 101 0110
सह गेस्टेट <b>नर</b>	*कार्यभार के	3150-65	ज्येष्ट्रता			
आपरेटर	आधार पर	3540 ₹.				
	परिवर्तन किया				,	
named and	जा सकता है।					
					11	THE STREET STREET, STR
8	9	· Kenner	10	N		to the second se
लागू नहीं होता	100 प्रतिश	त प्रोन्नति		य में कार्यरत चपरासी	पुष्टिकरण के लिए :	
	द्वारा		जिसन भ्रणा प् मित सेवा पूरी	में तीन वर्ष की निय- ो की हो।	सहायक केन्द्र निर्दे	दर्शन के कार्यालय/केन्द्र में रेशक अभियंता/सहायक केन्द्र समकक्ष स्तर का अधिकारी—
					— — — — »	अध्यक्ष
						सहायक अभियंता/कार्यक्रम समकक्ष स्तर का अधिकारी—
						सदस्य
					(3) प्रशासन अधिकार	ी/प्रधान लिपिक/लेखाकार—
						ी/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य
					आकाशवाणी/दूरदर्श	ी/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य नि महानिदेशालय के लिए:
					आकाशवाणी ∕दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश	ी/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य <b>नि महानिदेशालय के लिए</b> : सन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष
					आकाशवाणी/दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य <b>नि महानिदेशालय के लिए:</b> सन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष ॥सन) —सदस्य
					आकाशवाणी/दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य <b>नि महानिदेशालय के लिए:</b> ।सन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष ॥सन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)—
					आकाशवाणी/दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश *3. अनुभाग अधिका	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य <b>नि महानिदेशालय के लिए:</b> ासन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष ॥सन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार
1	2	3	4	5	आकाशवाणी / दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश *3. अनुभाग अधिका * उप महानिदेशक नामित किए जाएं	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य नि महानिदेशालय के लिए: सिन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष सिन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार गे।
	2	3	4	5	आकाशवाणी / दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश *3. अनुभाग अधिका * उप महानिदेशक नामित किए जाएं	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य नि महानिदेशालय के लिए: सन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष् ।सन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार गे।
	*22 (2001)	2610-60	योग्यता के	5 लागू नहीं होता	आकाशवाणी / दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश *3. अनुभाग अधिका * उप महानिदेशक नामित किए जाएं	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य नि महानिदेशालय के लिए: सिन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष् ॥सन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार गे।
	*22 (2001) *कार्यभार के	2610-60 3150-65-	योग्यता के आधार पर		आकाशवाणी / दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश *3. अनुभाग अधिका * उप महानिदेशक नामित किए जाएं	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य नि महानिदेशालय के लिए: सन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष् ।सन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार गे।
1 7. साटेर	*22 (2001)	2610-60	योग्यता के		आकाशवाणी / दूरदर्श *1. उपनिदेशक (प्रश *2. उप निदेशक (प्रश *3. अनुभाग अधिका * उप महानिदेशक नामित किए जाएं	तै/प्रधान लिपिक/लेखाकार— सदस्य नि महानिदेशालय के लिए: सन)-(मुख्यालय)—अध्यक्ष ॥सन) —सदस्य री (कर्मचारी 5 अनुभाग)— सदस्य (प्रशासन), आकाशवाणी द्वार गे।

भाग ।।। स्वय	n 4]		41144	। का राजपत्र : असाधारण	,
١	à	t.	4	5	6 /
तकाद्वाला ए तमान	*2 (2001) *कार्थभार के आभार पर परिवर्तन किया जा सकता हो।	2610 60 3150 65 3540 %,	चथन सह ज्लेष्टाता	लागू महीं होता	लागु वहीं होता   लागु वहीं होता
8	٧		10		11
M.A.	100 प्रतिष्	त पोज्ति	2660-60-3	जेसने रु. 2550-55 200 के चेतनधान में तीन वर्ष की सेवा की	प्रोज्यति पृष्टिकरण के लिए :  *1. आकाशवाणी दृर्दर्शन के कार्यालयाँ के जो में सहायक के ज अभियंता सहायक के ज निदेशक अथवा समकत्त स्तर का अभिकारी अध्यक्ष सम्बद्ध के ज् निदेशक अथवा समकत्त स्तर का अभिकारी अध्यक्ष स्वरंध *2. तस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम निष्पादक सदस्य *3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार सदस्य आकाशवाणी दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए :  *1. उपनिदेशक (प्रशासन) मुख्यालय अध्यक्ष *2. उप निदेशक (प्रशासन) सदस्य *3. अनुभाग अधिकारी (कर्मचारी 5 अनुभाग) सदस्य * संबंधित उप महानिदेशक (प्रशासन) द्वारा चामित किए जाएंगे।
1	2	3	4	8	6
।।. चपरासी	*1019 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550 55 2660-60 3200 ₹.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (35 वर्षतक शिथिलनीय टिप्पणी : आयु सीमा अवश्वास्ति व के लिए निर्णायक तार्र यह अन्तिम तारीख हो जिस तक रोजगार कार्यालयों के नाम भेजने के लिए कहा गया हो।	<ul> <li>वांछनीय योग्यताएं :         <ul> <li>(क) होग गार्ड/सिविल</li> </ul> </li> <li>त्वे डिफेंस श्वयं सेवक के         <ul> <li>रुप में 3 वर्ष की सेवा;</li> </ul> </li> </ul>
8	9	Marie Miller Mil	10	4 1000000000000000000000000000000000000	11
2 বৰ্গ	75 प्रतिशत द्वारा, 25 र स्थानांतरण	प्रतिशत	केन्द्रों/कार्यात पद पर कार्य वेतनमान च	काशवाणी के विभिन्न नयों में समूह (घ) रत व्यक्ति जिनका गरासी के समान है । 5 वर्ष की नियमित	<ol> <li>केन्द्र/कार्यालय प्रमुख—अध्यक्ष</li> <li>उप निदेशक—(समाचार सेवा प्रभाग अधवा विदेश सेवा प्रभाग के मामले में सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियंता) जहां सहायक केन्द्र निदेशक/सहायक केन्द्र अभियं केन्द्र/कार्यालय प्रभारी होता है उस मामले में</li> </ol>

7 वर्ष

14

10

शिक्षा प्राप्त की है और जो हिन्दी भा अंग्रेजी साक्षेत्रीय भाषा पढ़ना जानते हों। 11

सबस्य नामित किया जाए। सबस्य 3. प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/| जहां प्रशासीनक अधिकारी/प्रधान लिपिक उपलब्ध न हो किसी अन्य अधिकारी को नामित किया जा सकता है।

सन्स्य

हिष्पणी : 1— चपरासी के पद पर व्यक्तियों की निश्वित होन गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेने के वायित्व के अधीन होगी। इन विनियमों में कि.सी बात के होते भी, इन विनियमों के अधीन चपरासी के पद पर निशुक्त प्रत्येक व्यक्ति को तीन वर्ष की अवधि के लिए हीन गार्ड के रूप में प्रशिक्षण लेगा होगा; परन्तु, कमंडिट जनरल होन गार्ड प्रशिक्षण के दौरान किसी व्यक्ति के अनुपालन और प्रशिक्षण के स्तर को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण की अवधि को कम करके दो वर्ष कर सकता है।

हिष्णणी: 2—यशासंभव है यह परिकल्पित किया जाता है कि सामान्यतः प्रशिक्षण की अवधि कार्यालय समय से बाहर होगी। तथापि, यदि कर्मचारी को कार्यालय समय के दौरान प्रशिक्षण लेना अपेक्षित होगा तो प्रशिक्षण की अवधि को इप्यूरी माना जाएगा। होम गार्ड संगठन के सदस्य के रूप में यदि किसी कर्मचारी का कार्यालय समय के दौरान प्रशिक्षण के अलावा कोई इप्यूरी और कार्य करना आवश्यक होगा-तो अनुपरिश्वित की उस अवधि को विशेष आकस्मिक छुट्टी माना जाएगा। कर्मचारी को अपने स्विवल बेतन के अलावा ऐसे भने लेने की अनुमति दी जाएगी जो होम गार्ड नियमों के अधीन उसे दिए जाएंगे। इस्र्लिए उसे प्रशिक्षण अवधि के लिए या कोई अन्य उप्यूरी देने के लिए, जो कि उसे होम गार्ड संगठन के सदस्य के रूप में देना अपेक्षित हैं, अलग से कोई दैनिक भना/यात्रा भना नहीं दिया जाएगा।

हन विनियमों के अनुसरण में चपरायी के पद पर भर्ती किए गए व्यक्तियों के नाम नियोक्ता कार्यालय/विभाग द्वारा संबंधित राज्य/यंघ शासित प्रदेश के संबंधित कमांडेट जनरल को भेज दिए जाएंगे जिसे महानिर्देशक, सिविल डिफेंस, गृह संत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। होम गार्ड प्रशिक्षण की शर्त और निबंधन महानिदेशक, सिविल डिफेंस द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुदेशों के द्वारा शासित होंगी।

1	2	3	4	5	6	7
12. माली	*151 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	2550-55 2660-60- 3200 ₹.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	न्यूनतम आठवीं कक्षा पास बागबानी में. प्राथमिक ज्ञान एवं कृषि की पृष्ठभूमि हो।	लागू नहीं होता
8 .	9	No. of Concession, Spiriter, Spirite	10	the same of the last of the same of the sa	11	
2 वर्ष	100 प्रतिशत भर्ती द्वारा,	न सीधी	लागू नहीं होता।	•	<ol> <li>आकाशवाणी/दूरदर्शन के के सहायक केन्द्र निदेशक/सहाः या समकक्ष स्तर का अधिक</li> <li>उस कार्यलय में सहायक अ निष्पादक या समकक्ष स्तर व</li> <li>प्रशासन अधिकारी/प्रधान रि</li> </ol>	यक केन्द्र अभियन्ता गरी — अध्यक्ष भियंता/कार्यक्रम का अधिकारी
1		_			(पुष्टि आदि के लिए)	ापका लखाकार —सदस्य
। 13. फराश	*276	3	4	5	6	7
15. नगस	276 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	2550-55 2660-60- 3200 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच	पांचर्वी कक्षा पास	लागू नहीं होत

	THE	GAZETTEOFT	NDIA EXTRAORDI	NARY	[PART III—SEC 4]
S to Desire 1 to the same of t		2 X SA-XXXIII - 2			,
				गरीख	
			लेए । नयत का आतम उ होगी ) नियक्ति ग्रेजगार व	कार्यालय	
			के मध्यम से की जानी व	वाली	
			भता का दशा न, जानु	निर्णायक	
			जववास्त करन क गरिए	ल होगी	
			जिस कर सेक्स करार्थ	लय से नाम	
				11	
	7.5			The state of the s	
	साधा	लागू नहीं होता	1	स्थायाकरण के लिए :	क्यांच्या केन्न में
भती द्वारा				<ol> <li>आकाशवाणा/दूरदशन के प्</li> </ol>	maida and a
	900			निष्पादक अथवा समकक्ष	
	,				—सदस्य
				<ol> <li>प्रशासन अधिकारी/प्रधान</li> </ol>	लिपिक/लेखाकार
				•	— सदस्य
				आकाशवाणी/दूरदर्शन मह	ानिदेशालय के लिए :
				*1. उपनिदेशक (प्रशासन)-	मुख्यालय - अध्यक्ष
				*2. उप निदेशक ( प्रशासन)	— सदस्य
				*3. अनुभाग अधिकारी ( कर्म	5 अनुभाग) —सदस्य
				<ul> <li>संबंधित उपमहानिदेशक</li> </ul>	(प्रशासन) द्वारा नामिर
				किए जाएंगे।	
2					
			-	6	7
		लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच	5वीं कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता
		होता			
	3200 €.				
जा सकता है।	***				
9		10		11	
100 प्रतिशत	सीधी	लाग नहीं होता			
		THE TOTAL GIGH		पुष्टकरण के लिए:	
ay				<ol> <li>आकाशवाणी/दूरदर्शन वे</li> </ol>	कार्यालय/केन्द्र में
				सहायक केन्द्र अभियन्त	/सहायक केन्द्र निदेशव
				अथवा समकक्ष स्तर क	अधिकारी —अध्य
				<ol> <li>उस कायालय में सहाय</li> </ol>	क अभियंता/कार्यक्रम
				ानणादक अथवा समक	क्ष स्तर का अधिकारी
					-
				3. प्रशासन अधिकारी/प्रधा	—सदस्य
	2 *276 (2001) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	9 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा  *276 2550-55 (2001) 2660-60- *कार्यभार के 3200 ह. आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	9 10 100 प्रतिशत सीधी लागू नहीं होता भर्ती द्वारा  2 3 4 *276 2550-55 लागू नहीं (2001) 2660-60- होता *कार्यभार के 3200 ह. आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।  9 10 100 प्रतिशत सीधी लागू नहीं होता	हिए नियत की अंतिम त होगी) नियुक्ति रोजगार के माध्यम से की जानी भर्ती की दशा में, आयु- अवधारित करने के लिए तारीख वह अन्तिम तारी जिस तक रोजगार कार्या भेजने के लिए कहा गया 9 10 100 प्रतिशत सीधी लागू नहीं होता भर्ती द्वारा 2 3 4 5 *276 2550-55 लागू नहीं 18 से 25 वर्ष के बीच (2001) 2660-60- होता *कार्यभार के 3200 ह. आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	लिए नियत की अंतिम तारीख होगी ) नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से को जानी चाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख होगी जिस कह रोजगात कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।  9 10 11 100 प्रतिशत सीधी लागू नहीं होता स्थायीकरण के लिए : 1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के व सहायक केन्द्र अधियनता/क अथवा समकक्ष नत्तर का 3 2. उस कार्यालय में सहायक निष्पादक अथवा समकक्ष निष्पादक अथवा समकक्ष अश्ववा समकक्ष अश्ववा समकक्ष अश्ववा समकक्ष विष्पादक अथवा समकक्ष विष्पादक अथवा समकक्ष अश्ववा समकक्ष अश्ववा समकक्ष अश्ववा समकक्ष विष्पादक अथवा समकक्ष अश्ववा समकक्ष विष्पादक अथवा समकक्ष अश्ववा समकक्ष कर्ष अश्ववा समकक्ष अश्ववा समकक्ष अश्ववा समकक्ष कर्ष कर्ष अश्ववा समकक्ष कर्ष कर्ष अश्ववा समकक्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्य कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष कर्ष

41111 (4)	Total State of the		भारत	का राजपत्र : असाधारण	ण 1
					. 11 ·
					आकाशवाणी/दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए *1. उपनिदेशक (प्रशासन)-मुख्यालय —अध्यः
					*2. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस
					*3. अनुभाग अधिकारी (कर्म 5 अनुभाग) —सदस
					<ul> <li>संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामि</li> </ul>
					किए जाएंगे।
	2	3	4	5	6 7
17. <b>सुरक्षागार्ड</b>	*1130	2550-55	लागू नहीं	35 वर्ष	
	(2001)	2660-60-	होता		<ol> <li>भूतपूर्व सैनिक, जिसने लागू नहीं होत सशस्त्र, सेनाओं में कम से कम</li> </ol>
	*कार्यभार के	3200 ₹.			3 वर्ष की सेवा की हो तथा सेना
	आधार पर				से सेवा-मुक्ति प्रमाण-प्रत्र में
1	परिवर्तन किया जा सकता है।			•	जिसके चरित्र का आकलन बहुत
	जा सकता ह।				अच्छा किया गया हो, या
					(2) भूतपूर्व पुलिस कार्मिक जिसने
				*	केन्द्र या राज्य पुलिस में कम से कम
					3 वर्ष सेवा की हो तथा सेवा-मुक्ति
	na)				ंप्रमाणत्रपत्र में जिसके चरित्र का आकलन बहुत अच्छा किया गया हो।
					,
8	9		10		11
1 वर्ष	100 प्रतिशत	ा सीधी	लागू नहीं होता		पुष्टिकरण के लिए :
	भर्ती द्वारा				1. आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/केन्द्र में
					सहायक केन्द्र अभियन्ता/सहायक केन्द्र निदेशक
					अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी — अध्यक्ष
•					2. उस कार्यालय में सहायक अभियंता/कार्यक्रम
K					निष्पादक अथवा समकक्ष स्तर का अधिकारी
					— н <b>с</b> ка
			•		<ol> <li>प्रशासन अधिकारी/प्रधान लिपिक/लेखाकार</li> </ol>
	•				—सदस्य आकाशवाणी ⁄दूरदर्शन महानिदेशालय के लिए
					*1. उपनिदेशक (प्रशासन)-मुख्यालय — अध्य
					*2. उपनिदेशक (प्रशासन) —सदस
					*3. अनुभाग अधिकारी (कैर्म 5 अनुभाग) —सदस
					<ul> <li>संबंधित उपमहानिदेशक (प्रशासन) द्वारा नामि</li> <li>किए जाएंगे।</li> </ul>
					अनिल बैजल, कार्यकारी सदर
					[ सं. विज्ञापन-III/IV/असाधारण/163/01

#### PRASAR BHARATI

# (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

#### NOTIFICATION

### New Delhi, the 11th March, 2002

- No. N-10/9/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—
- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Junior Group 'D' posts) Service Regulations, 2002.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Initial Constitution.—All persons appointed at the commencement of these rules holding the posts of Group 'D' on regular basis shall be deemed to have been appointed as Group 'D' employees under these rules. The service rendered by them before the commencement of the rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. to the next grade.
- 3. Number of posts and scales of pay.—The number of posts and their scales of pay shall be as specified on columns (2) and (3) of the schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (4) to (11) of the said Schedule.
  - 5. Disqualification.—No person,—
  - (a) Who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to said posts:

Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts and also with the approval of the Central Government.
- 7. Interpretation.—If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be referred to the Central Government for its decision.

COL			
SCH	ED	ш	F

Number of	Scale of pay		
post	scale of pay	Whether selection by merit or selection- cum -senjority	Age limit for direct recruits
2	3	A	
36* (2001) *(Subject to variation dependant on workload)	Rs. 2650- 65-3300- 70-4000	Selection-cum- Seniority	5 Not applicable
	2 36* (2001) *(Subject to variation dependant on	2 3  36*(2001) Rs. 2650-  *(Subject to 65-3300- variation 70-4000 dependant on	by merit or selection- cum -seniority  2 3 4  36* (2001) Rs. 2650- *(Subject to 65-3300- variation 70-4000 dependant on

14	T	HE GAZETTE OF INDIA : EX	TRAORDINARY	[PART III—SEC. 4]
THE PERSON NO.		3	'4	5
3. Record Sorter	2 2*(2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2650- So	election-cum- eniority	Not applicable
6	The second transport special and the second			9
6 Not applicable	N	7 ot applicable	8 Nil	100% by promotion
				11
Daftry with thre	10 se years regular service	e in the grade.	of Akashvani/	Promotion Committee for Directorate Doordarshan: irector Administration (Headquarters)
			*(2) Deputy D  *(3) Section C  For Station/C  (1) Assistan  Director	pirector Administration — Member Officer (Staff-V Section)—Member Office of Akashvani/Kendra: t Station Engineer/Assistant Station or an officer of Equivalent rank in the
		× ·	(2) Assistar — Mem (3) Adminis — Mem * To be no	nt Engineer/Programme Executive ber strative Officer/Head Clerk/Accountant ber ominated by Deputy Director General
			(Admin	istration) Akashvani.
1	2	3	4	5
4. Studio Guard	23* (2001) *(Subject to variation dependant o work load)	Rs. 2610- 60-3150- 65-3540 n	Selection-cum- Seniority	25 years (relaxable in the case of Schedule Castes and Schedule Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time).
6		7		8
Middle School pass, well built able to speak a stand English	t, active and	No. However in case of deputation maximum age limit is 55 years as on date of receipt of application	Two year direct re	ars for By promotion failing
42 <b>17</b> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	10			11
Promotion: Peons in the Station/Office of Akashvani/ Doordarshan. Transfer: Studio Guards from other Stations/Offices of Akashvani/Doordarshan.			Servie Assis Engi	of Station/Office/Kendra— Chairman ty Director (in Member the case of New ce Division and External Service Division stant Station Director/Assistant Statio neer/(where Assistant Station Directo stant Station Engineer is incharge of

Nil

100% by promotion

Not applicable

Not applicable

	10			11		
111 the મામાન જો સામ મા	માંહ સીધા ∌ પ્રતાપ્તિ વિવહ્યું દ્	ल्याय स्थातीम क्रमा कि	(1) Assistant	Faultroathur: Station Paginssi/Assistant: Tan offissi of squivalset rank 1991 of Akashvani/Doorda Ch	In this	
			(4) Assistant P officer of eq	ngmeer/Programme Escentry myslent rank in that office = M	e or an lember	
			(1) Administra	o e Aklari') biraH/raariito ayn M	untant ember	
			for Directorate	of Alcashvani/Doordarshan	ţ	
			*(1) Deputy Dire	ator Administration (Headqui Cha	មាសគ្រ) មាមអា	
			*(3) Deputy Dire	eter Administration - Mem	her	
			*(1) Section Offi	eer (Staff V Section) - Mem	her	
			* In be nomb (Administra	nated by Deputy Director Ge (1001)	neral	
ì	•	1				
Muha	*** (3(N))	N= 3010		, 1		
	*(Subject to variation dependant on work boot)	(13-134)	Nelection by modif	Not applicable		
Not much such		†	н			
New applications	No	। समुप्रीत्यात्रह	two years	By promotion		
K	١					
	nongsi Penix with at	heart Avenue		1		
mark out in our how	m the Station Kend	east Avents regular of concerned	(1) Station Direct (2) Andience Res	or Chairman earch Officer Member		
			(1) One outside t locally by Stat	o be associated ion Director/TV		
			Outro	Member		
1	*	1	4	,		
N Lafferson		Rx 2010- 00.1150- 05.1540	Not applicable	Delow 25 years		
6		•				
		f	N	9		
Should be conversal the operation of elect fifts		pplicable	Sex months	100% by direct recr	uit-	
7.834						
K)			11			
New applicable			Not applicable			

[भाग]]]—खण्ड 4]		भारत का राज	पत्र : असाधारण		
1	2	3	4	5	
9. Gestetner	*10 (2001)	Rs. 2610-	Selection-cum-	Not applicable	
Operator	*(Subject to	60-3150-	Seniority	. tot appreciation	
(Junior	variation	65-3540			
Scale)	dependant on				
Tel System - State -	work load)				
6		7	0	0	
Not applicable	No	applicable	8	9	
	140	таррисавіе	Nil	100% by promotion	
10			,	11	
Peons in the same o	office in scale of Rs. 25	550-55-2660-60-3200	For promotion/o	confirmation :	
with 3 years regula	ar service in the grade the duplicating mach	and having profi-	*(1) Assistant S Director or	station Engineer/Assistant Station an officer of an equivalent rank in s/stations of Akashvani/Kendra	
*				ngineer/Programme Executive or ar nivalent rank in that office—Membe	
			*(3) Administra Member	tive Officer/Head Clerk/Accountan	
			For Directorate	of Akashvani/Doordarshan:	
			@(1) Deputy Administr	Director (Headquarters ation — Chairman	
			(2) Deputy Di	rector Administration — Member	
			(3) Section Of	fficer. (Staff V Section) — Member	
	*		* To be non Engineer	ninated by the Senior most Station or Station Director.	
			@ To be not Director G	minated by the concerned Deput ieneral (Administration).	
l	2	3	4 .	5	
0. Head	*2 (2001)	Rs. 2610-	Selection-cum-	Not applicable	
Safaiwala	*(Subject to	60-3150-	Seniority	Not applicable	
	variation	65-3540	comonly		
	dependant on				
	work load)	, t			
6		7	8		
ot applicable	Not	applicable	Nil	10007	
				100% by promotion	
10				11	
afaiwala in the grad	le of Rs. 2550-55-266	0-60-3200 with three	For promotion/	confirmation :	
ears of regular serv	vice in the grade.		(I) Assistant S	Station Engineer/Assistant Statio	
			Director or	an officer of an equivalent rank i station of Akashvani/Doordarsha	
				—Chairma Engineer/Programme Executiv	

,			d by the concerned f	eputy	
	Director General (Administration).				
11. Peon 3	4		5		

t applicable	Between 18 and 25 years (relaxable upto 35 years Note: The crucial date for
*	determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange are asked to submit names.

8 Middle School Standard No Two years pass. 75% by direct recruit-Desirable qualifications: ment, 25% by transfer

(a) 3 years service as Home Guard/Civil Defence Volunteers and

(b) Training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in the Home Guards and Civil

Defence.

10					
Transfer:					
Persons holding Group 'D' posts at the stations/office	(1) Head of the Station/office — Chairman				
Akashyani/Doordarshan haning	2) Deputy Director (				

Persons holding Group 'D' posts at the stations/offices of Akashvani/Doordarshan having the same pay scale as that of Peon and who have put in minimum five years regular service and having at least elementary literacy and ability to read either English or Hindi or Regional Languages.

(2) Deputy Director (in case of News Service

Division or External Service Division/Assistant Station Director/Assistant Station Engineer (where Assistant Station Director/Assistant Station Engineer incharge of a Station/Office one of the Programme Executive/Assistant Engineer may be nominated — Member

(3) Administrative Officer/Head Clerk (where Administrative Officer/Head Clerk are not available any other officer may be associated)

Liability of persons appointed as Peons to undergo training as Home Guards. Notwithstanding anything Note 1: contained in these regulations every person appointed as a Peon under these regulations shall undergo training as a Home Guard for a period of three years; provided that the Commandant General, Home Guards may having regard to the performance and standard of training achieved by any person during the period of training Note 2: As far as possible it is envisaged that the normal period of training shall be outside office hours. However, if the employee is required to undergo training during office hours, the period of training shall be treated as duty. If as a member of the Home Guards Organisation the employee is required to perform any duties and functions (apart from training) during office hours, the period of absence shall be treated as Special Casual leave. The employee shall be permitted to receive in addition to their civil pay, such allowance as may be paid to them under the Home Guards Rules. They shall not, therefore, be given any TA/DA separately for the training period or for the performance of any other duty which they are required to perform as member of the Home Guards Organisation.

The names of the persons recruited to the post of Peon in accordance with these regulations may be sent by the employing office/department to the concerned Commandant General, Home Guards of the respective State/ Union Territories to whom necessary instructions in this regard have been issued by the Director General, Civil Defence, Ministry of Home Affairs, New Delhi. The terms and conditions of the Home Guards training would be governed by such instructions as are laid down from time to time by the Director General. Civil Defence

	2	3	F-100-7000	4	rector General, Civil Defence.
12. Malí	*151 (2001) *(Subject to variation dependant on work load)	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200		Not applicable	Between 18 and 25 years
,	The state of the s	CONTRACTO PRO CAMBRIL ACCOMPANSATION			
6 7  Minimum 8th standard Not applicable pass and possessing elementary knowledge of gardening and agri-cultural background,			8	9	
		ot applicable		Two years	100% by direct recruitment
10	***********				
Not applicable			- ACCOUNTAIN		
i Otto viitet talaisinet <mark>air talaisi</mark> viitet viitet airi on talaisinet airi on talaisinet viitetaa viitet viitet				(For purpose of confirmation	retc.)
1	2	3		4	5
. • v d	276 (2001) (Subject to variation dependent on vork load)	Rs. 2550- 55-2660- 60-3200		Not applicable	Between 18 and 25 years
6	7			8	9
h standard pass	Not	applicable		Two years	100% by direct recruitment
10					1
Not applicable	,		(1)	Confirmation: Assistant Station Engineer/	Assistant Station Director or ar the offices/station of Akashvani/

20	THE	GAZETTE	OFIN	DIA EXTRAORDINARY	[Part III—Sec. 4
					11
				equivalent rank in that office	mme Executive or an officer of the modern of
		(3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Men			i Clerk/Accountant—Member
	1			Directorate of Akashvani/D	
		3	*(1)	Danuta Dimeter Administra	tion (Headquarters) —Chairman
			*(2)	Deputy Director Administra	tion—Member
				Deputy Director Administra	
			<b>*</b> (3)	Section Officer (Staff V. Sect	ion)—Memoer
				*To be nominated by the co (Administration)	ncerned Deputy Director Genera
				,	
1	2	3		4 .	5
<ol><li>Packer/Mazdoor</li></ol>	*9 (2001)	Rs. 2550-		Not applicable	18—25 years
	*(Subject to	55-2660-		rocuppitedoic	(The crucial date for deter-
	variation	60-3200			mining the age limit shall
*	dependant on work-load)				be the last date up to which
	work-load)			2	the Employment Exchange
					are requested to forward
				1	' nominations)
6		7		0	
Essential:	Not			8	9
Some experience of pa	acking	applicable		Two years	Direct recruitment 100% (in the
and unpacking of par	cels and				initial stage the vacancie will
dispatching of parcel	s				be filled up from amongst the
Desirable :					casual labourers who have bee
Ability to read and wr	rite Hindi				working in the Prasar Bharati
and English					and are eligible for regularisa
					tion in Group 'D' posts in term
<del></del>				,	of instructions issued from time to time).
10					
Not applica	ble		(1)	Hand of station 77	11
			(2)	Head of stations/Kendra off	ices—Chairman
			(2)	(Programme E-	or/Assistant Station Enginee
				Station Director/Ass	or/Assistant Station Enginee sistant Engineer where Assistan Station Engineer
				Office—Member	Station Engineer where Assistant Station Engineer is the Head of
			(3)	Administrative Officer/Heac	I Classical Control of
				omen/neac	r Clerk—Member
1	2	3		4	
15. Safaiwala	*412 (2001)	Rs. 2550-			5 .
	*(Subject to	55-2660-		Not applicable	Between 18 and 25 years
	variation	60-3200		*	(Actavable upto 35
	dependant on				Title: The emeial days of
	work-load)				octoriumino the year book
					strait of the closing data
					for real closing date
					for receipt of applications from candidates in India

33 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY 11 (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office-Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member For Directorate of Akashvani/Doordarshan: \*(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman \*(2) Deputy Director Administration—Member \*(3) Section Officer (Staff V. Section)—Member \*To be nominated by the concerned Deputy Director General (Administration). 1 2 3 5 17. Security \*1130 Rs. 2550-Not applicable 35 years Guard (2001)55-2660-\*(Subject to 60-3200 variation dependant on work load) 6 8 (1) Ex-serviceman who has put in not less Not applicable One years 100% by direct recruitment than 3 years of service in the Armed Forces and who has got 'Very Good' character assessment in the Army Discharge Certificate. CR (2) Ex-Police personnel who has put in not less than 3 years of service in the Central or State Police Forces and who has got 'Very Good' character assessment in his Discharge Certificate. 10 11 Not applicable For Confirmation: (1) Assistant Station Engineer/Assistant Director or an officer of equivalent rank in the Office/Station of Akashvani/ Doordarshan—Chairman (2) Assistant Engineer/Programme Executive or an officer of equivalent rank in that office-Member (3) Administrative Officer/Head Clerk/Accountant—Member For Directorate of Akashvani/Doordarshan: \*(1) Deputy Director Administration (Headquarters)—Chairman \*(2) Deputy Director Administration—Member \*(3) Section Officer Staff V. Section—Member \*To be nominated by the concerned Deputy Director General

> ANIL BAIJAL, Executive Member [No. ADVT-III/IV/Exty/163/01]